न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 211/2023

अनवान : –

1. अभिमन्यु पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. अक्षय पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. गजानन्द पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र हरदत सिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. नरेश कुमार पुत्र रामजस जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. भजनलाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
6. राजवीर सिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
7. उपं पजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. अधिशाषी अभियंता विधुत विभाग खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **सायल**
2. श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 21/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 89/114 के ख.नं. 22 की 12.014 है० एवं रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 95/89 के ख.नं. 137/2 की 5.0590 है० भूमि सायल व गैरसायलान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायलान सं. 1 ता 6 ने अपनी कृषि भूमि का काफी समय से बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा सींव डोल भी कायम कर रखी है तथा मुताबिक बाहमी बंटवारा के ही काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान सं. 1 ता 6 जो कि झगडालु प्रवृति के व्यक्ति है तथा आये दिन सायल की सींव तोड़ देते है तथा मुताबिक बंटवारा के काश्त नही करने दे रहे है। वादग्रस्त भूमि मुश्तरका खाते की है तथा सायल मुताबिक बाहमी बंटवारा के वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान अलग–अलग करवापाने का अधिकारी है। सायल ने बाहमी बंटवारा में आयी भूमि में गैरसायलान सं. 1 ता 6 गैरसायल सं. 9 के साथ मिलकर जबरदस्ती विधुत लाईन डालकर डी.पी. सी. लगवाना चाहते है जिससे सायल की बंटवारे में आये भूमि खराब होगी तथा उसे काश्त करने में दिक्कत होगी तथा उसकी खड़ी फसल भी खराब हो जायेगी गैरसायल सं. 9 को पाबन्द किया जावे कि वो ऐसा करने से निषिद्ध रहें व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 89/114 के ख.नं. 22 की 12.014 है० एवं रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 95/89 के ख.नं. 137/2 की 5.0590 है० भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान न करे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 89/114 के ख.नं. 22 की 12.014 है० एवं रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 95/89 के ख.नं. 137/2 की 5.0590 है० भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि का सायल व गैरसायल के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं गैरसायल सायल के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है लेकिन प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न तो बंटवारा बाबत एवं नही कब्जा काश्त बाबत विवाद संबंधि कोई दस्तावेज पेश किया गया है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 16.08.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक..........21/11/25 [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:42:25 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर